छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल द्वारा शासन से लीज पर ली गई भूमि का विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव एवं खैरागढ़ संभाग द्वारा श्रम विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
5 मिनट

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 2

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

45 मिनट (1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे।''

45 मिनट (2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में सभी स्तर की ग्रामीण सड़कों को 50 (पचास) टन भार क्षमता वहन करने योग्य बनाया जाये।''

25 मिनट (3) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे।''

30 मिनट (4) सर्वश्री गुलाब कमरो, अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''विगत दो वर्षों में कोरानाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी जाय।''

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 10 मार्च, 2022